2019 का विधेयक संख्यांक 371

[दि कांस्टीट्यूशन (वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 25 जनवरी, 2020 को प्रवृत होगा ।

अनुच्छेद 334 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 334 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात् न रहना";

(ख) खंड (क) और खंड (ख) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में "सत्तर वर्ष" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) के संबंध में अस्सी वर्ष और खंड (ख) के संबंध में सत्तर वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 334 यह अधिकथित करता है कि लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे । दूसरे शब्दों में, यदि इन उपबंधों का और विस्तार नहीं किया गया तो ये 25 जनवरी, 2020 को प्रभावी नहीं रहेंगे ।

2. यद्यपि, गत 70 वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने पर्याप्त प्रगति की है, वे कारण जिनसे स्थानों के पूर्वोक्त आरक्षण के संबंध में उपबंध करने के लिए संविधान सभा ने विचार किया था, अभी भी विद्यमान हैं । अतः, संविधान के निर्माताओं द्वारा यथा परिकल्पित समावेशी स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को अन्य दस वर्षों के लिए अर्थात् 25 जनवरी, 2030 तक जारी रखने का प्रस्ताव है ।

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
4 दिसंबर, 2019

रवि शंकर प्रसाद

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् न रहना ।

334. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी,

इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से सत्तर वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है ।

*   *   *   *   *   *

MGIPMRND—4122LS(CRC)—05-12-2019.